

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनू

घोटासीन अधिकारी -ज्वाला सहाय मीणा (आर.टी.एस.)

प्रकरण सं०:- 17/2021

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-राज.अधिनियम 1956

सरकार बनाम महावीर, फूलाराम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी तुकार्णि जोहड़ी,
खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

-: निर्णय :-

दिनांक 12.01.2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी गण अनुस्थित। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खिरोड़ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तुकार्णि जोहड़ी, खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 365 कुल रकबा 13.95 हैक्टेयर किस्म चारागाह में महावीर, फूलाराम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी तुकार्णि जोहड़ी, खिरोड़ तहसील नवलगढ द्वारा 780 व.मीटर भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। तामिल रिपोर्ट प्राप्त हुई।

गैरसायल महावीर, फूलाराम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी तुकार्णि जोहड़ी, खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर भू.अ. निरीक्षक बसावा एवं पटवारी हल्का खिरोड़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें दर्शाया गया है कि राजकीय भूमि ख.न. 365 कुल रकबा 13.95 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 780 व. मीटर भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया गया। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिचार पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट व पुस्त में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

अतः पटवारी हल्का, खिरोड़ एवं भू.अ.निरीक्षक बसावा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अप्रार्थी को अतिक्रमित रकबे से भौतिक बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप अप्रार्थी को शरह लगान का 50 गुणा अर्थात् 40/- रुपये के आर्थिक दण्ड (तावान) से दण्डित किया जाता है। तावान् कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो। अतिक्रमी की भौतिक बेदखली हेतु भू.अ. निरीक्षक बसावा को लिखा जावे तावान की वसूली हेतु पटवारी हल्का खिरोड़ को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 12.01.2022 के मुकद. 67-
रु. 40/- रुपये का दण्ड काटने के लिए
दिनांक 17/01/2022

(ज्वाला सहाय मीणा)
तहसीलदार नवलगढ